ऑन लाईन नं. RCMS 2024/154

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 08/2024

राज्य सरकार जरिये श्री कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति कुम्हार, निवासी कालवासिया, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
2. फर्म/दुकान कृष्णा मोटर्स, संगरिया रोड, सादुलशहर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6 ए आवश्यक के तहत जब्तशुदा सामग्री 01 घरेलू एलपीजी गैस सिलैण्डर मय 03.0 किलोग्राम गैस, 1 पाईप एवं रिफलिंग मोटर को राजसात करने बाबत्।

उपस्थित : जिला रसद अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी श्री दयाकृष्ण उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 22.11.2024

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कृष्णा मोटर्स संगरिदया रोड, सादुलशहर पर घरेलु गैस सिलण्डरों का दूरूपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 25.09.2024 को उक्त घर पर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति कुम्हार, निवासी कालवासिया, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को दुकान का मिस्त्री होना बताया। श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया गया कि दुकान में घरेलु गैस सिलण्डरों का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर पाई गई। मौके पर पाया गया 1 घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर पाया गया 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 01 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधी कोई भी वैद्य दस्तावेज श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश द्वारा फर्द जब्ती पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया। श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश की दुकान पर पाया गया 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 3 किलोग्राम गैस, 1 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया एवं श्री पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल जाति अग्रवाल, निवासी सादुलशहर, गैस सर्विस सादुलशहर को सुपुर्द किया। उक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलण्डर, 2 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जा रहा था। दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग में उपयोग कर LPG [Regulation of Supply and distribution]Order 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) की स्पष्ट अवहेलना की है।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

- (प्रशासन) श्री गंगानगर
प्रकरण संख्या - सं0 14/2024
राज्य बनाम अप्रार्थी सं–

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मौके से जब्त 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 3 किलोग्राम गैस, 01 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तारीख पेशी पर स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील स्वयं से होने के उपरांत गत तारीख पेशी 08.11.2024 को उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किए एवं आगामी तारीख पेशी पर जवाब/बहस हेतु अप्रार्थी को पाबन्द किया। अप्रार्थी स्वयं को पाबंद करने के बावजूद आज दिनांक को उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि कृष्णा मोटर्स संगरिदया रोड, सादुलशहर पर घरेलु गैस सिलण्डरों का दूरूपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 25.09.2024 को उक्त घर पर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति कुम्हार, निवासी कालवासिया, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को दुकान का मिस्त्री होना बताया। श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया गया कि दुकान में घरेलु गैस सिलण्डरों का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर पाई गई। मौके पर पाया गया 1 घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर पाया गया 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 01 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधी कोई भी वैद्य दस्तावेज श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश द्वारा फर्द जब्ती पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया। श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश की दुकान पर पाया गया 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 3 किलोग्राम गैस, 1 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया एवं श्री पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल जाति अग्रवाल, निवासी सादुलशहर, गैस सर्विस सादुलशहर को सुपुर्द किया। उक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलण्डर, 2 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जा रहा था। दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग में उपयोग कर LPG [Regulation of Supply and distribution]Order 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत मौके से जब्त 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 3 किलोग्राम गैस, 01 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर को राजसात किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि कृष्णा मोटर्स संगरिदया रोड, सादुलशहर पर घरेलु गैस सिलण्डरों का दूरूपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किए जाने

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 25.09.2024 को उक्त घर पर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति कुम्हार, निवासी कालवासिया, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को दुकान का मिस्त्री होना बताया। श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया गया कि दुकान में घरेलु गैस सिलण्डरों का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर पाई गई। मौके पर पाया गया 1 घरेलु एलपीजी गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर पाया गया 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 01 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर वजह सबूत जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधी कोई भी वैद्य दस्तावेज श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश द्वारा फर्द जब्ती पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया। श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश की दुकान पर पाया गया 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 3 किलोग्राम गैस, 1 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलण्डरों का उपयोग किया जा रहा था।

श्री दयाकृष्ण पुत्र श्री ओमप्रकाश ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग में उपयोग कर LPG [Regulation of Supply and distribution]Order 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग), 4(1)(ग)(2) व 7(1)(ग) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 03.0 किलोग्राम गैस, 01 गैस पाईप एवं 1 रिफलिंग मोटर को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(रीना)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर